निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 42/09
दायरा दिनांक :– 25.02.2009
निर्णय दिनांक :–26.05.2022

उनवान

प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी बामला तहसील व जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0टी0एक्ट एवं 136एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–26.05.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0टी0एक्ट एवं 136एलआरएक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम बामला तहसील बारां में सेटलमेन्ट से पूर्व सं0 2032–2035 में आराजियात ख0नं0 939 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा सडकवाली ख0नं0 1093 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 1096 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 1098 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वर्तमान जमाबन्दी स0 2064–2067 में सेटलमेंट के पश्चात नयी जमाबन्दी के अनुसार वादी की जमीन के नये ख0नं0 1319 रकबा 1.04 है0 व ख0नं0 1321 रकबा 2.32 है0, ख0नं0 1334 रकबा 0.16 है0 दर्ज किये गये है। जो कि कुल किता 3 रकबा 3.52 है0 है।

वादी के खाते में गत रकबे की तुलना में सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादी के गत खाते की जमाबन्दी के अनुसार ख0नं0 939 को जिसका रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा [illegible] खाते से बाहर निकालकर ख0नं0 782/1651 व ख0नं0 782 व ख0नं0 860 [illegible] किया गया है। तथा सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट उक्त ख0नं0 939 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नया भी नहीं डाला गया है। उक्त नम्बर को ख0नं0 782/1651 रकबा 0.07 है0 गेरमुमकिन रास्ता तथा ख0नं0 860 रकबा 0.70 है0 भूमि किस्म गेरमुमकीन रास्ता में तबदील कर ख0नं0 939 को उक्त खसरा नं0 में दर्ज कर दिया गया है। जो कि वेधानिक रूप से गलत है। तथा सेटलमेंट अधिकारियों को वादी के खाते की उक्त जमीन को किस्म परिवर्तन कर गेर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी सेटलमेंट से पूर्व खाते की जमाबन्दी अनुसार उक्त खसरा नं0 हाल 782 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 782/1651 व खसरा नं0 860 रकबा 0.70 है0 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पूर्व नक्शे के अनुसार वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का वेधानिक अधिकारी, एवं नालिसी है। तथा उक्त रकबे पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का भी अधिकारी है।

वादी के उक्त खसरा नं0 939 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि साबिक नक्शे के अनुसार साबिक नं0 938 के नीचे थी। जिसकी पुष्टि चालू नक्शा व गत नक्शे से हो रही है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि ख0नं0 939 का रकबा ख0नं0 860 रकबा0.70 है0 गेर मुमकिन रास्ता ख0नं0 782/1651 रकबा 0.07 है ख0नं0 782 रकबा 0.32 है गैर0 रास्ता में दर्ज हो जाना प्रमाणित है। जिसे वादी गत नक्शे के अनुसार दुरूस्ती करवाकर उक्त ख0नं0 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर नक्शे में शुद्धि करवाने का वेधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी द्वारा ख0नं0 939 के मिलान क्षेत्रफल की नकल का आवेदन करने पर जिला रिकार्ड रूम बारां द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सेटलमेंट सं0 2038–2057 में ख0नं0 939 साबिक नं0 दर्ज नहीं है। जबकि उक्त नं0 का अस्तित्व सेटलमेंट से पूर्व जमाबन्दी सं0 2032–2035 के अनुसार प्रमाणित होता है। उपरोक्त वाद कारण वादी द्वारा अपने खाते की जमाबन्दी में उक्त नं0 का दर्ज न होना तथा उक्त नं0 वर्तमान नक्शे अनुसार गेरमुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना के कारण बमुकाम बामला पेदा हुआ। तथा वर्तमान भी हो रहा है। इस कारण से वादी को अपने कम रकबे के खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ एवं गत रकबे की तुलना में कम हुये रकबे की दुरूस्ती हेतु उक्त दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। जिससे वादी के खातेदारी अधिकरो की रक्षा हो सकें। उक्त भूमि पर कब्जा बहेसियत खातेदार निरन्तर रूप से वादी का चला आ रहा है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2064–67 खाता सं 209, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2064–67 [illegible] मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2057 ग्राम बामला नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35 खाता सं0

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

127 पेश की गई। नकल नक्शा ट्रेस, नकल प्रतिलिपि फार्म, नकल नक्शा ट्रेस, नकल नक्शा ट्रेस किश्तवार मोजा बामला, नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2064–67 खाता सं0 1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2064–67 ग्राम बामला, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–36 पेश की गई।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1 आया की ग्राम बामला की आराजी ख0नं0 939 रकबा 1.05 बीघा ख0नं0 1093 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 196 रकबा 13.15 बीघा, ख0नं0 1098 रकबा 7.01 बीघा, कुल किता 4 रकबा 23.04 बीघा बन्दोबस्त से पूर्व वादी के खाते दर्ज थी। वादी

तनकी नं0 2 आया कि बन्दोबस्त के पश्चात वादी के खाते की आराजी ख0नं0 1319 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 1321 रकबा 2.32 है0, ख0नं0 1334 रकबा 0.16 है किता 3 रकबा 3.52 है0 कायम कर दर्ज की गई। वादी

तनकी नं 3 आया कि दोराने बन्दोबस्त वादी की आराजी ख0नं0 939 रकबा 1.05 बीघा, का नया नम्बर नहीं डाला तथा उक्त आराजी ख0नं0 782/1651 रकबा 0.07 है, ख0नं0 782 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 860 रकबा 0.70 है किस्म गै0मु0 रास्ता में तब्दील कर दी जिसे वादी अपने खाते दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी

तनकी नं0 4 आया कि वाद निराधार व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी

तनकी नं0 5 अनुतोष

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व कुल भूमि 23.04 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के पश्चात कुल आराजी 3.52 है0 कायम की जाकर दर्ज की गई। वादी के खाते में गत रकबा की तुलना में सेटलमेंट के दोरान 1.05 बीघा यानि कि 0.20 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई। जिसे गै0मु0 रास्ते में दर्ज कर दिया सेटलमेन्ट अधिकारियों को वादी कि भूमि की किसम परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की भूमि कम कर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी की भूमि कि किस्म परिवर्तन करने का सेटलमेंट अधिकारियों को अधिकार नहीं था। वादी का वाद स्वीकार कर वादी के खाते में 0.20 है0 भूमि दर्ज कर खातेदारी अधिकार दिये जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2064–67 खाता सं 209 के अनुसार ख0नं0 1319 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 1321 रकबा 2.32 है0, ख0नं0 1334 रकबा 0.16 है भूमि प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल कोम मीना सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2064–67 के अनुसार वादी के कब्जे काश्त में होना पाया जाता है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2057 ग्राम बामला नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35 खाता सं0 127 में प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल कोम मीना के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज थी। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2–3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2064–67 खाता सं 209 के कुल ख0नं0 3 किता रकबा 3.52 है0 भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है सेटलमेंट के बाद वादी द्वारा अपने खाते की भूमि कम दर्ज करना बताया है नकल सम्वत 2064–67 खाता सं 1 में पगडंडिया तथा रास्ते दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2064–67 में गै0मु0 रास्ता दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से यह साबित नहीं होता है कि साबिक ख0नं0 का कितना रकबा था। कही अंकित नहीं है। वादी के खातेदारी में ख0नं0 1319, 1321,1334 की भूमि दर्ज जमाबन्दी बताया है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल में ख0नं0 1319 ,1321 ही दर्ज है। वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि वादी की किस ख0नं0 की भूमि कम करके किसके खातेदारी की गई है। वादीगण पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताया कि ख0नं0 1093 रकबा 19 बिस्वा दर्ज है। जबकि पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी 2032–35 के खाता सं0 127 पर खातेदार प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल के नाम ख0नं0 1092 रकबा 19 बिस्वा अंकित है। जो मूल वाद दर्ज नहीं है इसी प्रकार ख0नं0 1096 का रकबा मूल दावे में 13 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है जबकि उक्त जमाबन्दी 2032–35 में 13.19 बीघा अंकित है।ख0नं0 1093 रकबा 77 बीघा 9बिस्वा है जो अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। मुताबिक रेकार्ड ख0नं0 860 रकबा 0.70 है0 के गत ख0नं0 935 रकबा 2.07 बीघा गे.मु0 रास्ता दर्ज है। व ख0नं0 938 रकबा 1.14 बीघा है। जिसका नया नम्बर 782 रकबा 0.32 है0 व ख0नं0 782/1651 रकबा 0.07 है0 दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त 2038–57 [illegible] क्षेत्रफल में गत ख0नं0 939 कही भी दर्ज होना नहीं पाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] खसरा नं0 का मेल नहीं खाता है। तथा वादी गे0मु0 रास्ते को अपनी [illegible]दारी में दर्ज कराना चाहते है। जबकि गे0मु0 रास्ता प्रतिबन्धित है गे0मु0 रास्ते को [illegible]दारी में दर्ज नहीं किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

सकता है। वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं किया जिसमें यह साबित हो सके कि किस ख0नं0 में कमी पेशी की गई। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचनानुसार यह साबित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में विफल रहे है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:—**कियात्मक आदेशः—**

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 42 / 09	धारा अन्तर्गत 88,89,91,92A आर.टी.एक्ट, 136 एलआरएक्ट	निर्णय दिनांक : 26.05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी बामला तहसील व जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner